	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 5, शुक्रवार, *शाके* 1943–मार्च 26, 2021 *Chaitra 5, Friday, Saka 1943- March 26, 2021*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 23, 2021

संख्या एफ1(71)वन/बॉध-बारैठा/02पार्ट :-वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 26ए(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एवं राज्य वन्यजीव मण्डल की अनुशंसा पर राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल की 61वीं बैठक दिनांक 18.02.2021 में लिये गये निर्णय के क्रम में, राज्य सरकार की यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन होगा कि राजस्व पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11(1)पर्यावरण/85 दिनांक 05 अक्टूबर, 1985 द्वारा घोषित वन्यजीव अभयारण्य ''बांध बारैठा'' की उत्तर एवं पूर्व की सीमा में परिवर्तन करते हुए अभयारण्य के तहसील बयाना के रक्षित वनखण्ड सूखाशीला एवं कोट तथा तहसील रूपवास के रक्षित वनखण्ड बंशी पहाड़पुर-अ एवं बंशी पहाड़पुर -ब की सम्पूर्ण वन भूमि कुल 27.855 वर्ग किमी. को राज्य सरकार एतद्द्वारा अभयारण्य से विमुक्त (Denotify) करती है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 18 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एवं राज्य वन्यजीव मण्डल की अनुषंसा पर राष्ट्रीय वन्यजीव मण्डल की 61वीं बैठक दिनांक 18.02.2021 में लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य सरकार की यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन होगा कि राजस्व पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11 (1) पर्यावरण/85 दिनांक 05 अक्टूबर, 1985 द्वारा घोषित वन्यजीव अभयारण्य ''बांध बारैठा'' की दक्षिण पश्चिम सीमा में परिवर्तन करते हुए करौली जिले के वन खण्डों को, उनमें पाये जाने वाले वन्यजीवों के संरक्षण एवं विकास, भू-जल एवं वनस्पति के संरक्षण, विकास तथा प्राणी विज्ञान संबंधी सहयोजना एवं महत्व के कारण, अभयारण्य में राज्य सरकार एतद् द्वारा सम्मिलित कर अभयारण्य घोषित करने की मंशा रखती है। अतः इस प्रकार सम्मिलित किये वनखण्डों जिनका उल्लेख अनुसूची-1 में वर्णित है, वनखण्डों की भूमि को बांध बारैठा अभयारण्य में शामिल करते हुए अभयारण्य घोषित करने के अपने आशय की घोषणा करती है। अब उक्त अभयारण्य में सम्मिलित समस्त वनखण्डों का विवरण अनुसूची-2 में अंकित है। इस प्रकार जोडे गये क्षेत्र को मिलाकर नवीन अभयारण्य की सीमाऐं अनुसूची -3 के अनुसार होंगीः-

<u>अनुसूची-1</u>

अभयारण्य में सम्मिलित किये जाने वाले वनखण्डों का विवरणः-

क्र.सं.	जिला	वनखण्ड का नाम	क्षेत्रफल वर्ग किमी. में	गजट नोटिफिकेशन का विवरण
1	करौली	पहाड़ताली	25.4104	7(147) रेवेन्यू/वन/64 दिनांक 07.07.1964

2	करौली	मेवला	55.7233	एफ6(20)रा.क.63 दिनांक 15.02.1963
3	करौली	बांसवाड़ी	94.4957	7(20) रेवेन्यू/वन/63 दिनांक 14.02.1963
4	करौली	जमूरा टिमकोली	22.2256	7(147) रेवेन्यू/वन/64 दिनांक 07.07.1964
	कुल योग वर्ग किमी.		**197.855**	

<u>अनुसूची-2</u>

वन्यजीव अभयारण्य बांध बारैठा में भरतपुर जिले के शेष रहे वनखण्डों एवं करौली जिले के सम्मिलित किये जाने वाले वनखण्डों का विवरण-

क्र.सं.	अभयारण्य का नाम	जिला	वनखण्ड का नाम	क्षेत्रफल वर्ग किमी. में	गजट नोटिफिकेशन का विवरण
1	वन्यजीव अभयारण्य बांध बारैठा	भरतपुर	सुल्तानपुर	0.56	एफ2(4)वन/99 दिनांक 03.05.2020
2		भरतपुर	नहरौली	9.318	6(110) रा.क./66 दिनांक 15.07.1967
3		भरतपुर	बाजना	64.83	एफ.2(14)राज./8/81 दिनांक 23.11.1981
4		भरतपुर	घुनैनी शाहपुर	27.94	2(10)राज./8/80 दिनांक 10.07.1980
5		भरतपुर	दरबराहना	62.315	7 (111) रा.क./67 दिनांक 19.07.1967
6		भरतपुर	सेऊपुरा (मैन)	4.79	एफ (4)वन/99 दिनांक 03.06.2002
7		भरतपुर	सेऊपुरा(अ)	0.157	
8		भरतपुर	सेऊपुरा (ब)	0.0225	
9		भरतपुर	थाना डांग	0.802	भाग 1 (ख) महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञऐ, राजस्व विभाग विज्ञप्ति, संख्या 13193 एफः15(8)रे.वे./56 दिनांक 21.05.1956
10		भरतपुर	खेरी डांग	0.446	
11		करौली	पहाड़ताली	25.4104	7(147) रेवेन्यू/वन/64 दिनांक 07.07.1964
12		करौली	मेवला	55.7233	एफ6(20)रा.क.63 दिनांक 15.02.1963
13		करौली	बांसवाड़ी	94.4957	7(20) रेवेन्यू/वन/63 दिनांक 14.02.1963
14		करौली	जमूरा टिमकोली	22.2256	7(147) रेवेन्यू/वन/64 दिनांक 07.07.1964

	कुल योग वर्ग किमी.	**368.5048**	

अनुसूची-3

बांध बारैठा अभयारण्य की परिवर्तित सीमाओं का विवरणः-

क्र.सं.	अभयारण्य का नाम	जिला	तहसील	सीमायें	सीमा विवरण
1	वन्यजीव अभयारण्य बांध बारैठा	भरतपुर	बयाना	उत्तर	वनखण्ड सुल्तानपुर, खेरीडॉग, थानाडॉग, नहरौली, घुनेनी शाहपुर, सेऊपुरा-ए, बी एवं मैन एवं दरबराहना की सीमाऐं।
2		करौली	मासलपुर	पूर्व	वनखण्ड दरबराहना, जमूरा टिमकोली एवं बाजना की सीमाऐं।
3		करौली	मासलपुर	दक्षिण	वनखण्ड बाजना, बांसवाडी, मेवला एवं पहाड़ताली की सीमाऐं।
4		करौली	मासलपुर	पश्चिम	वनखण्ड खेरीडॉग, थानाडॉग, नहरौली, पहाड़ताली की सीमाऐं।

नोटः-अनुसूची 3 में वर्णित अभयारण्य की सीमाओं के बीच पड़ने वाला राजस्व क्षेत्र अभयारण्य में शामिल नहीं रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

बी. प्रवीण,
शासन सचिव, वन विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।